प्राक्कथन

मार्च 2017 में समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है। रिपोर्ट के अध्याय 8 जो रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा की शर्तों (डीपीसी)) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए), जैसा कि 1984 में संशोधन किया गया, के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार के रेल मंत्रालय के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं, जिसमें रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकाय शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों को उल्लिखित किया गया है, जो 2016-17 की अवधि हेतु नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये, इसके साथ ही वह भी जो पूर्व वर्षों में देखें गये थे, लेकिन पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थें; 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरण भी शामिल किये गये हैं, जहां भी आवश्यक था।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार की गई है।